रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 1976/चैत्र 24, 1898

No. 185] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 1976/CHAITRA 24, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

ORDER

New Delhi, the 13th April 1976

S.O. 293(E).—Whereas it came to the notice of the Central Government that the Administrative Body (hereinafter called the Body) appointed for administration of the Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 (hereinafter called the Scheme) had defaulted in the due performance of its functions;

Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause 5 of the Scheme issued a Show Cause Notice on the 18th December, 1975 directing the Body to Show Cause by the 20th January, 1976;

Whereas the Body replied to the Show Cause Notice on the 16th January, 1976 and also requested for an opportunity of being heard in person;

Whereas the Body's representatives were heard in person by Shri S. S. Gill, Joint Secretary, Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), New Delhi on the 27th February, 1976;

Whereas the Body sent a further communication on the 15th March, 1976;

And whereas after careful consideration of the Body's replies, both in writing and oral, the Central Government has come to the conclusion that the Body has defaulted in the due performance of its functions;

Now, therefore, is exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of Clause 5 of the Scheme, the Central Government hereby removes the Body with immediate effect.

[No. LDC/81/75]

K. L. GUPTA, Dy. Secy.

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1976

का० आ० 293 (अ).—यत: केन्द्रीय सरकार को सूचना मिली है कि कलकत्ता चिपिंग एंड पेंटिंग कर्मकार (नियोजन का विनियमन), योजना, 1970 (जिसे इसमें इस के पश्चात् स्कीम कहा गया है) के प्रशासन के लिए नियुक्त प्रशासनिक निकाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् निकाय कहा गया है) ने अपने सम्यक कार्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम किया था,

यत: केन्द्रीय सरकार ने स्कीम के खण्ड 5 के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निकाय को यह निर्देश करते हुए 18 दिसम्बर, 1975 को एक कारण बताओ सूचना जारी की थी कि वह 20 जनवरी, 1976 तक कारण बताये कि उसे क्यों ने हटा दिया जाय ।

यत: निकाय ने 16 जनवरी, 1976 को कारण बताओ सूचना का उत्तर दिया और अनुरोध भी किया कि उसे व्यक्तिगत रुप से कहने का अवसर दिया जाये ।

यत: 27 फरवरी, 1976 को नयी दिल्ली में नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) के संयुक्त सचिव श्री एस०एस० गिल ने निकाय के प्रतिनिधियों की सुनवाई की।

यत: निकाय ने 15 मार्च, 1976 को एक और पत्र भेजा,

और यत: निकाय के दोनों लिखित और मौखिक उत्तरों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि निकाय ने अपने कृत्यों के सम्यक् अनुपालन में व्यतिक्रम किया है ।

अत: स्कीम के खण्ड 5 के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निकाय को तुरन्त हटाती है ।

[सं० एल डी सी /81/75]

के० एल० गुप्ता, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976